न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 623/2022

अनवान : –

1. ओम प्रकाश पुत्र अनुराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. अनुराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
2. मुन्शीराम पुत्र अनुराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
3. गाडूराम पुत्र अनुराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
4. कमला पुत्री अनुराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
5. कृष्णा पुत्री अनुराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
6. मंहेदी पुत्री अनुराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा **वादी**
श्री सुबोध शर्मा **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 12/4/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा मेघाना के खाता सं0 5/5 के खसरा सं0 127, 165 की कुल 18.2620 है0 में प्रतिवादी सं0 1 अनुराम के नाम 1/3 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा मेघाना के खाता सं0 173/176 के खसरा सं0 128, 166 की कुल 19.7530 है0 में प्रतिवादी सं0 1 अनुराम के नाम 3035/39506 है0 भूमि के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 जो कि वादी का पिता है वयोवृद्ध व्यक्ति है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहता है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीया स0 4 ता 6 जो की वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है [illegible]यों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 [illegible] काबिज है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा य[illegible]य मुखास्मत है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:29 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 ने दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 7 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।

साक्ष्य वादी में वादी ओम प्रकाश के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी को घरेलु जरूरतों के हिसाब से केसीसी आदि की आवश्यकता रहती है जिसके लिए अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 6 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा मेघाना के खाता सं0 5/5 के खसरा सं0 127, 165 की कुल 18.2620 है0 में प्रतिवादी सं0 1 अनुराम के नाम 1/3 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा मेघाना के खाता सं0 173/176 के खसरा सं0 128, 166 की कुल 19.7530 है0 में प्रतिवादी सं0 1 अनुराम के नाम 3035/39506 है0 भूमि के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 अनुराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1, 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है तथा प्रतिवादी स0 1 ता 6 द्वारा इकबाल प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगणक कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेघाना के खाता सं0 5/5 के खसरा सं0 127, 165 की कुल 18.2620 है0 में प्रतिवादी सं0 1 अनुराम के नाम 1/3 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा मेघाना के खाता सं0 173/176 के खसरा सं0 128, 166 की कुल 19.7530 है0 में प्रतिवादी सं0 1 अनुराम के नाम 3035/39506 है0 भूमि के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 अनुराम का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....12/4/23.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:29 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या–623 / 2022

अनवान : –

1. ओम प्रकाश पुत्र अनुराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. अनुराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
2. मुन्शीराम पुत्र अनुराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
3. गाडूराम पुत्र अनुराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
4. कमला पुत्री अनुराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
5. कृष्णा पुत्री अनुराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
6. मंहेदी पुत्री अनुराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 623 सन 2022

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री सुबोध शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेघाना के खाता सं0 5 / 5 के खसरा सं0 127, 165 की कुल 18.2620 है0 में प्रतिवादी सं0 1 अनुराम के नाम 1 / 3 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा मेघाना के खाता सं0 173 / 176 के खसरा सं0 128, 166 की कुल 19.7530 है0 में प्रतिवादी सं0 1 अनुराम के नाम 3035 / 39506 है0 भूमि के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 अनुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/4/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:29 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर